



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54983

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 747/2026

किशोर X

.....पुनरीक्षणयाची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणयाची के अधिवक्ता : संजीव कुमार शर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., सुशील कुमार द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुशील कुमार द्विवेदी और राज्य के ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणयाची द्वारा उसके प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे आगे "जे.जे. अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के तहत दायर की गई है, जिसमें वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने और आपराधिक अपील संख्या 192/2025 में विद्वान किशोर न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), कमरा संख्या 25, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय और दिनांक 03.01.2026 के साथ ही कानपुर नगर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2025 को अपास्त करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त आदेशों के संचालन पर रोक लगाने और पुनरीक्षणयाची को मुकदमा अपराध संख्या 619/2025, धारा 137(2), 87, 64, 351(2) बी.एन.एस. और धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना चकेरी, जिला कानपुर नगर के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले में याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। कथित घटना के समय आरोपी की आयु लगभग 16 वर्ष थी। पीड़िता याचिकाकर्ता की मित्र थी, इसीलिए वह स्वेच्छा से उसके साथ गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार का बलात्कार या छेड़छाड़ नहीं की गई थी। चिकित्सा रिपोर्ट में ऐसा कोई घाव नहीं है जिससे बलात्कार का प्रमाण मिले।

पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज किया गया था , जिसमें उसने स्वयं कहा था कि वह याचिकाकर्ता की सहेली थी, इससे स्पष्ट होता है कि मित्रता के कारण वह स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान आरोपी के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय दोनों ने ही विचार नहीं किया है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया , जिसे वैध नहीं कहा जा सकता। अभियुक्त 22.09.2025 से किशोर देखभाल गृह में है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है , इसलिए जे.जे. बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है।

प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि वह पुनरीक्षणकर्ता के दबाव में थी , जिसके कारण उसने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष वास्तविक तथ्य का खुलासा नहीं किया , हालांकि उसने कुछ तस्वीरों और वीडियो के बारे में बताया, जो पुनरीक्षणकर्ता के कब्जे में थे और उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहे थे।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों , याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए .जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों, अभिलेखों के अवलोकन, एफआईआर की सामग्री, धारा 183 बीएनएसएस के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज पीड़ित के बयान , चिकित्सा रिपोर्ट, याचिकाकर्ता की आयु, धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों और डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि जे.जे. बोर्ड और अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री पर उचित रूप से विचार नहीं किया और न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार , इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और किशोर न्याय बोर्ड और विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 05.12.2025 और अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2026 को पारित आदेश अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है।

यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त/आवेदक को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप पुनरीक्षणकर्ता (दोषी किशोर का कानूनी अभिभावक) द्वारा व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानत दार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि जमानत पर रिहाई के बाद पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में नहीं आने दिया जाएगा और न ही उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने दिया जाएगा तथा पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर अपराध की पुनरावृत्ति न करे।
- (ii) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि किशोर उचित स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेगा और अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजन गतिविधियों में बर्बाद नहीं करेगा।
- (iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।
- (iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित आवधिक आधार पर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

18 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुराग सिंह

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।